

Amr

ख हुवम

25.11.2025

हुवम कार्यवाही मय इनिशियल्यरा जज
राजरव वाद 139/2020
अनवान् कमलेश कुमार बनाम कमला देवी वगैरा

नं. व तारीख
अहकाम जो इस
हुवम की तामिल में
जारी हुए

वादी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहश सुनी गई। वादी के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। लिहाजा वादी का वाद एवं तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	कमलेश कुमार पुत्र हेमाराम जाति जाट सा. NDKD खातेदार।	बायतु चिमनजी	515	0.1618	वा. दो.	0.01
			515	0.1780	वा. दो.	0.01
योग :-			02	0.3398	-	0.01
02	खेराजराम पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट सा. पनोणी जाणियों की ढाणी खातेदार	बायतु चिमनजी	515	0.2265	वा. दो.	0.01
योग :-			01	0.2265	-	0.01
3	भंवरलाल पुत्र सिमरथाराम कौम जाट सा. आहोणी बेनिवालों की ढाणी खातेदार	बायतु चिमनजी	515	0.1618	वा. दो.	0.01
योग :-			01	0.1618	-	0.01
4	कमलादेवी पत्नि सोनाराम हि. 1618/44495, कैलाश कुमार पुत्र खेताराम हि. 4312/44495, चूकी पत्नि खेताराम हि. 4312, प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनाराम हि. 1618/44495, पुष्पादेवी पत्नि प्रकाश हि. 2104/44495, नाबालिग पियुष पुत्र प्रेमचन्द हि. 809/44495 संरक्षक सरपरस्त कुदरती वली माता लीलादेवी, बाबूलाल पुत्र खेताराम हि. 4312/44495. मदनलाल पुत्र शंकरलाल हि. 2156/44495, मांगीलाल पुत्र शंकरलाल हि.	बायतु चिमनजी	515	1.8607	वा. दो.	
			515	2.5888	वा. दो.	



उपस्थित अधिकारी बायतु
जिला - धारमपुरा

571 / 44495, मांगीलाल पुत्र खेताराम हि. 2265 / 44495, राजेश पुत्र खेताराम हि. 4312 / 44495, लालाराम पुत्र गोविन्दराम हि. 6472 / 44495, लीला पत्नि प्रेमचन्द हि. 2184 / 44495, लीला देवी पत्नि प्रेमचन्द हि. 809 / 44495, श्रवण पुत्र खेताराम हि. 2265 / 44495, शोभादेवी पत्नि सुरेश हि. 2184 / 44495, सत्यनारायण पुत्र शंकरलाल हि. 574 / 44495, सुरेश पुत्र सोनाराम हि. 1618 / 44495 कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार					
योग :-	02	4.4495	-		

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोसरा

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान R.A.S.

- वादी
1. कमलेश कुमार पुत्र हेमाराम जाति जाट, निवासी नगोणी धतरवालों की ढाणी
 2. खेराजराम पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी पनोणी जोगियों की ढाणी
 3. भंवरलाल पुत्र सिमरथाराम जाति जाट निवासी आहोणी बेनीवालों की ढाणी, माधासर तहसील बायतु जिला बालोतरा।

बनाम

- प्रतिवादीगण
1. कमलादेवी पत्नि सोनाराम
 2. कैलाश कुमार पुत्र खेताराम
 3. चूकी पत्नि खेताराम
 4. प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनाराम
 5. पुष्पादेवी पत्नि प्रकाश
 6. पियुष पुत्र प्रेमचन्द नावालिग जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी
 7. बाबुलाल पुत्र खेताराम
 8. मदनलाल पुत्र शंकरलाल
 9. मांगीलाल पुत्र शंकरलाल
 10. मांगीलाल पुत्र खेताराम
 11. राजेश पुत्र खेताराम
 12. लालाराम पुत्र गोविन्ददास
 13. लीला पत्नि प्रेमचन्द
 14. लीलादेवी पत्नि प्रेमचन्द
 15. श्रवण पुत्र खेताराम
 16. शोभादेवी पत्नि सुरेश
 17. सत्यनारायण पुत्र शंकरलाल
 18. सुरेश पुत्र सोनाराम जाति ब्राहमण, निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु
 19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु।



दावा बाबत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 139/2020

निर्णय दिनांक :- 25.11.2025

वादीगण की ओर से वकील श्री नरपत पुनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.11.2025 को (नाम पीठासीन अधिकारी) कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण का वाद एवं तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कल्पित शिवरान)

सहायक कलक्टर एवं


उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तागिल	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तागील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

2211 किरवाट बांध - बायत चिमनजी
 पत्र - बायत चिमनजी, तह - बायत जिरा - बायत
 पैमाना 1 इंच = 20 गज



उपखण्ड अधिकारी, बायत
 जिला - बालोतरा
 216212 -

चिमनजी
 बायत

12/12/22
 उपखण्ड अधिकारी

बायत
 तहसील बायत

राजकीय अधिकारी जरी

पत्रांक बायत चिमनजी
 मं. बायत चिमनजी (बायत)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature